दिनांक 18.01.2014 को उपायुक्त धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए. की अध्यक्षता में जे.आर.डी.ए. की कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. प्रभारी पदाधिकारी (आर० एण्ड आर० एवं स्था०) जे.आर.डी.ए., धनबाद।
2. मुख्य प्रबंधक (असैनिक), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
3. मुख्य प्रबंधक (वित्त), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
4. वरीय प्रबंधक (खान), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
5. भू–अर्जन पदाधिकारी, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
6. कार्यपालक अभियंता (असैनिक), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
7. सहायक प्रबंधक, जे.आर.डी.ए., धनबाद।

उपायुक्त के द्वारा इस संबंध में विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी की माँग की गई जिसे एक–एक कर उपायुक्त के समक्ष रखा गया।

2. उपायुक्त–सह–प्रबंध निदेशक का निदेश हुआ कि प्रत्येक समीक्षात्मक बैठक में जिला विज्ञान सूचना पदाधिकारी, धनबाद, सर्वे एजेंसी तथा वेब साईट मनेजमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि को भी उपस्थित होने के संबंध में सूचना ससमय निर्गत किया जाय।

3. Data Base Management के संबंध में बताया गया कि जे.आर.डी.ए. में Man Power की कमी के कारण Data Base Management की गति में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि प्रत्येक सर्वे एजेंसी के लिए एक–एक वरीय पदाधिकारी को रखा जाये। इस संबंध में निम्नलिखित आदेश हुआः–

   क) बी.सी.सी.एल. प्रबंधन से दो वरीय प्रबंधक तथा एक सहायक प्रबंधक (System) की माँग की जाय।

   ख) Date Entry Operator (Finance) तथा Date Entry Operator-cum-assistant की नई नियुक्ति की जाय।

4. सर्वे से संबंधित जानकारी देते हुए प्रभारी पदाधिकारी (आर० एण्ड आर) ने बतलाया की CIMFR, Dhanbad तथा ISM (Management Department) के द्वारा समर्पित सर्वे संबंधित डाटा/रिर्पोट पूर्ण नहीं है, जबकि ISM (पर्यावरण विभाग) को आवंटित सर्वेक्षण के कार्य की स्थिति सबसे खराब है, जिसके कारण काफी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि प्रो० गुरदीप सिंह, भारतीय खनि विद्या पीठ (पर्यावरण) के साथ उनकी एक बैठक जल्द सुनिश्चित करायी जाय।

5. उपायुक्त का आदेश हुआ कि निम्नलिखित Proforma में जे.आर.डी.ए. का data तैयार कराया जायः–